भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5044

01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पारंपरिक औषधि के लिए डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशिनल मेडिसिन (डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम)

5044. श्री मनोज तिवारी:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री वी.के. श्रीकंदनः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम) की स्थापना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभ क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस केंद्र की स्थापना के लिए गतिविधियों की समन्वय, निष्पादन और निगरानी हेतु किसी संयुक्त कार्य बल का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी संरचना क्या है;

(ग) उक्त केंद्र कब तक स्थापित और पूर्णतः कार्यशील हो जाएगा और इसके कार्यक्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त केंद्र के निर्माण के लिए भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ के बीच आनुपातिक साझा लागत कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के तहत आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और सुरक्षित, प्रभावी तथा किफायती पारंपरिक औषधियां प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी हां। 09 मार्च, 2022 को माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जामनगर, गुजरात में डब्ल्यूएचओ-जीसीटीएम की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बीच मेजबान देश समझौते (एचसीए) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी। आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ के बीच 25 मार्च, 2022 को डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में

आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। डब्ल्यूएचओ-जीसीटीएम के निम्नलिखित लाभ हैं:

- आयुष पद्धतियों सहित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाना।
- पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व प्रदान करना।
- साक्ष्य आधारित अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण और पारंपरिक दवाओं के बारे में जागरूकता के प्रयासों को सुदृढ़ करना।
- पारंपरिक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता, पहुंच और तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना।

(ख): जी हां। पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ वैश्विक केंद्र (डब्ल्यूएचओ-जीसीटीएम) की स्थापना हेतु गतिविधियों के समन्वय, निष्पादन और निगरानी के लिए संयुक्त कार्य बल का गठन **संलग्नक** में दिया गया है।

(ग): भारत में डब्ल्यूएचओ-जीसीटीएम की स्थापना के लिए प्रस्तावित समय सीमा 31 मार्च, 2024 है। डब्ल्यूएचओ-जीसीटीएम को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से संबंधित कार्य को संभालना है:

- डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 को लागू करना और पारंपरिक चिकित्सा हेतु नियम विकसित करने के लिए सदस्य देशों को सहायता देना।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों में आयुर्वेद और योग सहित पारंपरिक चिकित्सा को विनियमित करने, एकीकृत करने और स्थान दिलाने में देशों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों की पहचान करना और सदस्य देशों को समुचित नीति/विनियमन ढांचा विकसित करने, जन-स्वास्थ्य में पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण हेतु जानकारी/गतिविधियों का आदान-प्रदान करने और समुदाय को पारंपरिक चिकित्सा के बारे में जानकारी देने में सहायता करना।
- आंकड़े एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रभाव का आकलन करने के लिए मानदंड, मानक और संगत तकनीकी क्षेत्रों में दिशानिर्देश, टूल्स और पद्धतियां विकसित करना। मौजूदा टीएम डेटा बैंकों, वर्चुअल पुस्तकालयों और अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों को सहयोगी बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ टीएम सूचना विज्ञान केंद्र की परिकल्पना करना।
- उद्देश्यों के संगत क्षेत्रों में विशिष्ट क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करना और डब्ल्यूएचओ अकादमी की भागीदारी से और अन्य रणनीतिक भागीदारों के सहयोग से परिसर, आवास में या वेब-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(घ): डब्ल्यूएचओ-जीसीटीएम की स्थापना को पूरी तरह से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

(ङ): सतत विकास लक्ष्यों के तहत आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती पारंपरिक दवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार द्वारा निम्निलिखित कदम उठाए गए हैं:

- भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से आयुष पद्धति के संवर्धन और विकास के लिए देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों तथा आयुष औषधालयों की स्थापना और उन्नयन, 50/30/10 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष

अस्पतालों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति, राज्य सरकार के स्नातक और स्नातकोत्तर शैक्षिक संस्थानों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं।

- आयुष मंत्रालय एक केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम नामत: आयुर्स्वास्थ्य योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का एक उद्देश्य आयुष पद्धति को एकीकृत करके सतत विकास लक्ष्य-2 (एसडीजी 2) और सतत विकास लक्ष्य-3 (एसडीजी 3) को लागू करने के लिए व्यक्तिगत संगठनों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- एआईआईए और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों और अनुसंधान परिषदों से जुड़े अस्पताल समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) या यूनानी औषधियों का विनिर्माण ऐसे परिसरों और स्वच्छ परिस्थितियों में किया जाएगा जैसा अनुसूची-न (उत्तम विनिर्माण पद्धतियां) में विनिर्दिष्ट है और होम्योपैथी विनिर्माताओं को अनुसूची-ड1 (उत्तम विनिर्माण पद्धतियां) के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है।
- देश में भारतीय एवं होम्योपैथी दवाओं के मानकीकरण के लिए, सरकार ने आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना की है, जिसका मुख्य अधिदेश भारतीय आयुर्वेदिक भेषजसंहिता (एपीआई), भारतीय सिद्ध भेषजसंहिता (एसपीआई), भारतीय यूनानी भेषजसंहिता (यूपीआई) और भारतीय होम्योपैथिक भेषजसंहिता (एचपीआई) को प्रकाशित और संशोधित करना है।
- आयुष मंत्रालय प्रतिकूल दवा घटनाओं (एडीई) की सूचना देने, दस्तावेज तैयार करने तथा आगे नियामक कार्रवाई हेतु विश्लेषण करने की संस्कृति विकसित करने के लिए जून 2018 से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की भेषजसतर्कता की एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

*****

संलग्नक

पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ वैश्विक केंद्र (डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम) की स्थापना हेतु गतिविधियों के समन्वय, निष्पादन और निगरानी के लिए संयुक्त कार्य बल का गठन

डब्ल्यूएचओ की ओर से

1. डॉ. श्यामा कुरुविला, वरिष्ठ रणनीतिक सलाहकार, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड लाइफ कोर्स, डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, जिनेवा, स्विट्जरलैंड
2. डॉ. जॉन रीडर, निदेशक स्वास्थ्य अनुसंधान, और निदेशक स्पेशल प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन ट्रापिकल डिजीज (टीडीआर), डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, जिनेवा, स्विट्जरलैंड
3. डॉ. क्वी झांग, यूनिट हेड - ट्रेडिशनल, कॉम्प्लिमेंटरी एंड इंटिग्रेटिव मेडिसन, डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, जिनेवा, स्विट्जरलैंड
4. डॉ. एगल ग्रेंजिएरा, वरिष्ठ कानूनी अधिकारी - इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ग्लोबल हेल्थ लॉ, डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, जिनेवा, स्विट्जरलैंड
5. डॉ. मनोज झालानी, निदेशक - डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम्स डेवलेपमेंट, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, भारत

भारत की ओर से

6. प्रो .भूषण पटवर्धन, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर, आयुष मंत्रालय
7. श्री पी.के. पाठक, विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय
8. प्रो. डॉ. तनूजा नेसारी, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
9. श्री विमर्श आर्यन, पीएमआई के प्रथम सचिव, जिनेवा स्विट्जरलैंड (विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएनएआईडीएस और स्वास्थ्य संबंधी अन्य मामले)
10. वैद्य राजेश्वरी सिंह**,** अनुसंधान अधिकारी**,** केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद**,** आयुष मंत्रालय